न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/114/18	09—10—2019	16—07—2019

01. भीम सिंह पुत्र छज्जुराम जाति जाट निवासी ग्राम मजप्ता उचित मूल्य दुकानदार 1/3 ग्राम पंचायत हसनपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 25—07—2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या—1080/2001 प्रकरण संख्या 31/2018

उपस्थितः—

01. श्री श्योरामसिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार —रेस्पौडेण्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 25—07—2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0—1080/2001 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा आलौच्य निर्णय एकतरफा में पारित किया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 26.06.2018 में अपीलान्ट द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया एवं मौके पर उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित मिला। उचित मूल्य सामग्री में किसी प्रकार की अनियमितता या गबन नही किया गया है, दुकान का भौति सत्यापन किये जाने पर स्टॉक पूरा था। वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पर्चा पूछताछ की गई जिनके द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि उन्हे राशन डीलर से राशन नियमित रूप से उचित मात्रा में उचित रेट पर प्राप्त हो रहा है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं साक्ष्य का मौका दिए बिना एकतरफा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। निर्णय दिनांक 25.07.2018 में लिखा है और निर्णय आज दिनांक 29.06.18 को लिखा जाकर सुनाया गया एवं आर्डरशीट में निर्णय दिनांक 25.7.18 अंकित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट का जवाब पेश करने से पूर्व ही प्राधिकार पत्र निरस्त करने का मन बनाते हुए निर्णय दिनांक 29.06.18 को तैयार कर लिया था जिसे 25.7.18 की तारीख दर्ज करते हुए पारित किया गया है। जांच रिपोर्ट दिनांक 26.6.18 के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.7.18 को अपीलान्ट को जारी किया था जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.7.18 को पेश कर दिया गया था। अपीलान्ट को

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

दिनांक 01.09.16 से 26.6.2018 तक जब से पोश मशीन चालू हुई है 17,600 लीटर केरोसीन प्राप्त हुआ है। पोश मशीन से ऑन लाईन वितरण उपभोक्ताओं को 17,382.5 लीटर किया गया है मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान अपीलान्ट के पास स्टॉक में 217.5 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं के वितरण के लिए अटेचमेन्ट राशन डीलर गुलबा चन्द सैनी 1/3 भाग हसनपुर को संभलवा दिया गया था। उभोक्ताओं को अपीलान्ट के द्वारा उचित मूल्य राशन सामग्री वितरण से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अपीलान्ट वर्ष 2001 से लगातार क्षेत्र में राशन वितरण का कार्य कर रहा है। प्राधिकार पत्र निरस्त चल रहा है जिससे अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु तहत अदालत द्वारा आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अंपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन उचित मूल्य दुकानदार हसनपुर का उपभोक्ताओं की शिकायत व जांच के आधार पर प्राधिकार पत्र दिनांक 27.06.18 को निलम्बित किया गया। डीलर द्वारा राशन सामग्री में गंभीर अनियमितता की गई है, डीलर द्वारा की गई अनियमितताऐं राजस्थान खाधान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,8,12 एवं 17सी का स्पष्ट उल्लधन होने के कारण निरस्त किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉं तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं साक्ष्य का मौका दिए बिना एकतरफा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। निर्णय दिनांक 25.07.2018 में लिखा है और निर्णय आज दिनांक 29.06.18 को लिखा जाकर सुनाया गया एवं आर्डरशीट में निर्णय दिनांक 25.7.18 अंकित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट का जवाब पेश करने से पूर्व ही प्राधिकार पत्र निरस्त करने का मन बनाते हुए निर्णय दिनांक 29.06.18 को तैयार कर लिया था जिसे 25.7.18 की तारीख दर्ज करते हुए पारित किया गया है। अपीलान्ट वकील द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत ने अपीलान्ट को वक्त जांच भौतिक सत्यान करने पर 3460 लीटर केरोसीन कम पाये जाने का नोटिस दिया था। जवाब प्राप्त

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

होने पर अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत को संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे है कि अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री में गंभीर अनियमितता की गई है। अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन किया गया है। जहां तक अपीलांट का यह तर्क कि उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया, निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि तहत अदालत में अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)